तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादनी के पति प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता संख्या 03 के पिता तथा संख्या 04 के पति व 05 के पिता सगे भाई थे। वादनी संख्या 01 के पति का देहान्त सेटलमेन्ट से पूर्व होने से भू-प्रबन्ध के समय उसका नाम पर्चा लगान में अंकित नही हो सका। शेष भाईयों के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। पक्षकारान के पैतृक सम्पति की भूमि मौजा अभोणियों का सरा के खसरा संख्या 458 रकबा 18.7774 हैक्टेयर खसरा संख्या 456 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा संख्या 457 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल रकबा 18.9231 बीघा तथा एक अन्य खेत ग्राम आदर्श चवा के खसरा संख्या 881 रकबा 6.7097 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 884 रकबा 5.9003 हैक्टेयर कुल रकबा 12.6100 हैक्टेयर तथा ग्राम डावड भाटियान में भी चारों भाईयों की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 22, 38, 21 कुल रकबा 127.04 बीघा की आई हुई है। वादीनी के जायन्दा पुत्र या पुत्री नही होने से उसके पति ने अपने जीवनकाल में हीरा के जायन्दा पुत्र वादी संख्या 02 राजू को गोद लिया। उपर्युक्त समस्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 का भी 1/4 हिस्सा बनता हैं परन्तु प्रतिवादी सं0 05 ने अपना 1/4 हिस्सा मौजा आदर्श चवा के खेत खसरा नम्बर 881 व 884 का बेचान प्रतिवादी प्रतिवादी सं0 06 से 08 को कर दिया है जो हिस्सा प्रतिवादी सं0 06 से 08 का रहेगा तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वर्ष 1979 में जो वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमे वादीनी संख्या 01 को पक्षकार नही बनाने से उक्त वाद संख्या 120/1979 निर्णय दिनांक 30.01.1980 को स्वीकार कर उपर्युक्त वर्णित समस्त भूमि में 1/4-1/4 हिस्सा घोषित भी किया जा चूका था, परन्तु वादी संख्या 02 ने उक्त फैसले की नकल पटवारी हल्का चवा तथा डावड भाटियान को दी। पटवारी हल्का डावड भाटियान द्वारा उक्त फैसले का राजस्व अभिलेख में अंकन कर दिया परन्तु पटवारी हल्का चवा द्वारा उक्त फैसले का अंकन नही किया गया। लिहाजा वादीगण वादग्रस्त आराजी में आपना 1/4 हिस्सा घोषित करवा कर विभाजन करवाने के अधिकारी है। प्रकरण में दिनांक 30.05.2016 को प्रशासन गावों के संग अभियान मुख्यालय चवा में उभय पक्षों की उपस्थित में स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है परन्तु विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन नही करवाना चाहते है लिहाजा धारा 53 हटाकर अन्तिम डिक्री जारी करवाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति प्रकट की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों का सुनने के	

सहायक कलक्टर (RAS) बाड़मेर

पश्चात प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत उपवर्णित ग्रामों में अवस्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह भी प्रमाणित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार से है तथा वादीगण अपने 1/4 हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषित करवा की जाकर दिनांक लोक अदालत की भावना के मद्देनजर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा अभोणियों का सरा के खसरा संख्या 458 रकबा 18.7774 हैक्टेयर खसरा संख्या 456 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा संख्या 457 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल रकबा 18.9231 बीघा तथा एक अन्य खेत ग्राम आदर्श चवा के खसरा संख्या 881 रकबा 6.7097 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 884 रकबा 5.9003 हैक्टेयर कुल रकबा 12.6100 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जा चुका है। लिहाजा वकील वादीगण वाद पत्र में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन नही करवाना चाहते है लिहाजा वकील वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 53 हटाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अभोणियों का सरा के खसरा संख्या 458 रकबा 18.7774 हैक्टेयर खसरा संख्या 456 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा संख्या 457 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल रकबा 18.9231 बीघा तथा एक अन्य खेत ग्राम आदर्श चवा के खसरा संख्या 881 रकबा 6.7097 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 884 रकबा 5.9003 हैक्टेयर कुल रकबा 12.6100 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित की जाती है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) आबू